



Neutral Citation No. - 2026:AHC:15219

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट याचिका संख्या - सी – 619 वर्ष 2026

द्वारिका प्रसाद

.....याचिकाकर्ता

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और 7 अन्य

.....प्रतिवादी

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता: अभिषेक त्रिपाठी, आकाश सोनकर, -अखिलेश कुमार मिश्र

प्रतिवादी के अधिवक्ता: आज़ाद राय, सी.एस.सी.

न्यायालय संख्या – 2

माननीय न्यायमूर्ति प्रकाश पाडिया

1. यह रिट याचिका निम्नलिखित प्रार्थना के साथ दायर की गई है:-

"I. प्रतिवादी संख्या 3 द्वारा दिनांक 12.12.2025 को जारी किए गए विवादित नोटिस (इस रिट याचिका का अनुलग्नक संख्या 1) को रद्द करने के लिए सर्टिओरारी प्रकृति का आदेश या निर्देश जारी किया जाए।"

II. प्रतिवादी संख्या 3 को निर्देश देने हेतु परमादेश के रूप में आदेश या निर्देश जारी किया जाए कि वह याचिकाकर्ता द्वारा दिनांक 24.12.2025 को वाद संख्या टी202502030305901 (जीत लाल और अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य) में उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता-2006 की धारा 25 के तहत दायर आपत्ति पर निर्णय ले। जो उसके समक्ष लंबित है।

2. उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 की धारा 25 के तहत कार्यवाही प्रतिवादी संख्या 3- तहसीलदार, तहसील सोरांव, जिला प्रयागराज के समक्ष विचाराधीन है। रिट याचिका में दिए गए कथनों के अनुसार,

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



उपरोक्त नोटिस पर आपति पहले ही प्रस्तुत की जा चुकी है। यह स्थापित कानून है कि प्राधिकारी पक्षों के अधिवक्ताओं को सुनने के बाद आपतियों पर विचार करने और उचित आदेश पारित करने के लिए बाध्य है।

3. तथ्यों और परिस्थितियों को देखते हुए, इस प्रकार की आपति पर निर्णय लेने के लिए कोई आदेश पारित करने की आवश्यकता नहीं है, जो केवल दिसंबर 2025 में दायर की गई थी।

4. तदनुसार, वर्तमान रिट याचिका खारिज की जाती है।

(न्यायमूर्ति प्रकाश पाडिया)

21 जनवरी, 2026

प्रमोद त्रिपाठी

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"